ऑन लाईन नं. GCMS 2024/162

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 15/2024

राज्य सरकार जरिये श्री कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. **श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, फर्म/दुकान सांगवाल स्वीट हाउस, बस स्टैण्ड मैन रोड, सादुलशहर**

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलैण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैस को राजसात करने बाबत्।

उपस्थित : जिला रसद अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांकः 10.01.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.09.2024 को **सांगवाल स्वीट हाउस, बस स्टैण्ड मैन रोड, सादुलशहर** पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किये जाने की शिकातय प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ के अप्रार्थी की दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच आप मौके पर **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, सांगवाल स्वीट हाउस, बस स्टैण्ड मैन रोड, सादुलशहर** उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक बताया। **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/चाय/नमकीन/भोजन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैंस पाई गई। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैंस को वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण/उपयोग सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** की दुकान पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैंस को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं श्री **पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल जाति अग्रवाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी, सादुलशहर**, सादुलशहर गैंस सर्विस सादुलशहर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण, मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जाच में यह स्पष्ट है कि **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का दुरूपयोग किया जा रहा था। **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** द्वारा घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBURION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग, 4(1)(ग)(2) व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मौके से जब्त 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी तारीख पेशी पर स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील अप्रार्थी के भाई पर होने के बावजूद तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 25.09.2024 को **सांगवाल स्वीट हाउस, बस स्टैण्ड मैन रोड, सादुलशहर** पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किये जाने की शिकातय प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ के अप्रार्थी की दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच आप मौके पर **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, सांगवाल स्वीट हाउस, बस स्टैण्ड मैन रोड, सादुलशहर** उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक बताया। **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/चाय/नमकीन/भोजन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैंस पाई गई। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैंस को वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण/उपयोग सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** की दुकान पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैंस को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं श्री **पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल जाति अग्रवाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी, सादुलशहर**, सादुलशहर गैंस सर्विस सादुलशहर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण, मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जाच में यह स्पष्ट है कि **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का दुरूपयोग किया जा रहा था। **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** द्वारा घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBURION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग, 4(1)(ग)(2) व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत मौके से जब्त 2 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 25.09.2024 को **सांगवाल स्वीट हाउस, बस स्टैण्ड मैन रोड, सादुलशहर** पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किये जाने की शिकातय प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ के अप्रार्थी की दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच आप मौके पर **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, सांगवाल स्वीट हाउस, बस स्टैण्ड मैन रोड, सादुलशहर** उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक बताया। **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/चाय/नमकीन/भोजन आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैंस पाई गई। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैंस को वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण/उपयोग सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** की

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (रा.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

दुकान पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैंस को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं श्री **पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल जाति अग्रवाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी, सादुलशहर**, सादुलशहर गैंस सर्विस सादुलशहर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण, मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जाच में यह स्पष्ट है कि **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का दुरूपयोग किया जा रहा था। **प्रेम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद** द्वारा घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBURION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग, 4(1)(ग)(2) व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त **2 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 7.5 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाता है।** आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रीना)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर